न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—14/2021/223 (2021/14)

1. बाबूसिंह पुत्र बालूसिंह,
2. लक्ष्मणसिंह पुत्र बालूसिंह,
3. सुन्दरसिंह पुत्र बालूसिंह,
4. मदनसिंह पुत्र बालूसिंह,

समस्त जाति रावत, निवासी गांव प्रतापपुरा, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. श्रीमती कोयल बेवा किशनसिंह,
2. तिलोकसिंह पुत्र किशनसिंह,

दोनों जाति रावत, निवासी प्रतापपुरा, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।

3. श्रीमती लीला पुत्री किशनसिंह,
4. श्रीमती कंकू पुत्री किशनसिंह,
5. श्रीमती हुक्मी पुत्री किशनसिंह,
6. श्रीमती प्रेम पुत्री किशनसिंह,
7. श्रीमती सुशीला पुत्री किशनसिंह,

समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम प्रतापपुरा, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।

8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, ब्यावर जिला अजमेर ।
9. उप पंजीयक, ब्यावर ।
10. जिला कलक्टर, अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर दिनांक 13.9.2010 अंतर्गत वाद संख्या 14/2010.

उपस्थितः—

1. श्री राकेश अरोड़ा, वकील अपीलांटस ।
2. श्री शौकिन्दलाल गुर्जर, वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2.
3. रेस्पो0 संख्या 3 लगायत 7 अनुपस्थित ।
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 8 से 10.

निर्णय

दिनांकः— 29.10.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 13.9.2010 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात ग्राम प्रतापपुरा क्षैत्र नरबदखेड़ा की जमाबंदी

संवत् 2066 से 2069 के खाता संख्या 23 कुल किता 10 कुल रकबा 12–13–10 बीघा तथा खाता संख्या 24 कुल किता 13 रकबा 0–16–15 बीघा वादीगण तथा प्रतिवादीगण के अग्रज स्व0 पन्ना पुत्र जोधा के खुदकातश खातेदारी की भूमियां थी । स्व0 पन्ना के वादिया संख्या 1, प्रतिवादी संख्या 2 तथा प्रतिवादीगण संख्या 6 से 10 के पिता स्व0 किशनसिंह तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 के पिता स्व0 बालूसिंह सहित दो पुत्र थे । इस प्रकार स्व0 बालूसिंह व किशनसिंह को स्व0 पन्ना के उत्तराधिकार से उक्त भूमियां प्राप्त हुई जिनके 1/2 हिस्से पर वादीगण व प्रतिवादगण काबिज काश्त है किन्तु खाता संख्यसा 23 की भूमियों में तो स्व0 किशनसिंह का 1/2 हिस्से नाम लगा दिया गया लेकिन खाता संख्या 24 की भूमियों में स्व0 बालूसिंह के कारण स्व0 किशनसिंह का 1/2 हिस्से से नाम नहीं लगा । ये भूमियां स्व0 बालूसिंह की स्वअर्जित नहीं थी, ये स्व0 पन्ना पुत्र जोधा की विरासत से प्राप्त हुई है । अतः इनमें स्व0 किशनसिंह के वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 6 लगायत 10 का 1/2 हिस्सा दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पारित कर वादीगण के हिस्से की इन आराजियात में दखलदांजी से मुमानियत की जावे । प्रतिवादी संख्या 11 व 12 को मुमानियत की जावे कि वे उक्त गलत इंद्राज के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के आवेदन पर पंजीयन नहीं करे तथा ना ही राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार से परिवर्तित करे । अधी0न्याया0 ने दिनांक 13.9.2010 को निर्णय व डिक्री पारित कर वादी/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का वाद डिक्री कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अपीलांटस वादग्रस्त आराजियात के खातेदार रहे है एवं आराजियात साबिक खसरा नंबर 27 मिन, 69 मिन, 80, 84, 85, 117, 118, 111, 112, 142, 140, 143, 142, 149 मिन व 149 मिन जिसके हाल खसरा संख्या 25, 80, 88, 97, 98, 128, 134, 135, 142, 149, 151, 164, 165 कुल किता 13 रबा 9 बीघा 16 बिस्वा 15 बिस्वांसी अपीलांटस के पिता बालूसिंह की तन्हा खातेदारी की आराजियात रही है । उक्त आराजियात में रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 7 अथवा उनके पूर्वजों का किसी भी प्रकार का सरोकार नहीं है । वादग्रस्त आराजियात पन्ना पुत्र जोधा की खातेदारी की होना वर्णित करते हुए मिथ्या कथनों के आधार पर राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया था जिसमें रेस्पो0 संख्या 3 लगायत 7 ने राजीनामा प्रस्तुत कर आपसी मिलीभगती से राजीनामे की डिक्री पारित करवाई है जो निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद में अपीलांटस को जारी सम्मन आबादी मकान पर चस्पानगी बाबत् अंकन होने से दिनांक 8.6.2010 की आदेशिका अनुसार तामीली मान्य नहीं है । अंकन किया गया है व पुनः तलबाना नोटिस जारी करने के आदेश है । इसके पश्चात् पुनः दिनांक 11.8.2010 की आदेशिका अनुसार खुल मकान पर चस्पानगी को तामील मानते हुए एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए है जबकि न्यायिक प्रकिया के अनुसरण में व जाप्ता दीवानी के आदेश 5 नियम 17, 19 व 20 के अनुसरण में न्यायालय के आदेशों के बिना किसी भी रूप में पश्चात्वर्ती तामील संभव नहीं है । ना ही उक्त प्रकरण में तामीलकुनिन्दा द्वारा की गई तामीली पर्याप्त है । अपीलांटस को कभी भी तथाकथित दिनांक को अथवा अन्य किसी दिनांक को तामील हेतु तामील कुनिन्दा द्वारा प्रयास किया गया है ना ही सम्मन भेजे गये है । फर्जकारी रूप से लेने से

इंकार बाबत् अंकन करते हुए सम्मन भेज गये है । फर्जकारी रूप से लेने से इंकार बाबत् अंकन करते हुए चस्पानगी द्वारा तामील दर्शायी जाकर अपीलांटस के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही कर आपसी मिलीभगती से राजीनामे के आधार पर डिक्री पारित करवाई गई है जो काबिल निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात साबिक खसरा नंबर 27 मिन, 69 मिन, 80, 84, 85, 117, 118, 111, 112, 142, 140, 143, 142, 149 मिन व 149 मिन जिसके हाल खसरा संख्या 25, 80, 88, 97, 98, 128, 134, 135, 142, 149, 151, 164, 165 कुल किता 13 रबा 9 बीघा 16 बिस्वा 15 बिस्वांसी अपीलांटस के पिता बालूसिंह की खुदकाश्त की आराजियात रही है जिसमें किसी भी प्रकार के हक व अधिकार रेस्पो0 अथवा उनके पूर्वजों के नहीं रहे है । स्वंय को उपरोक्त आराजियात का पुश्तैनी रूप से खातेदार होना वर्णित करते हुए वाद विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है । बरवक्त दावा दायरी वादग्रस्त आराजियात बालू पुत्र पन्ना की खातेदारी में दर्ज रही है जिसका विरासती नामांतकरण संख्या 68 इिदनांक 23.6.2014 को अपीलांटस के नाम स्वीकृत किया गया एवं उपरोक्त विचाराधीन वादपत्र में रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा कैम्प कोर्ट में उपस्थित होकर निर्णय व डिक्री दिनांक 13.9.2010 के बाबत् अवगत कराया जिस पर अपीलांट संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत वाद विभाजन को निरस्त किए जाने बाबत् निर्णय दिनांक 9.6.2017 को विचारण न्यायालय द्वारा पारित किया गया है । उपरोक्त पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 9.6.2017 के विरूद्ध अपीलांट संख्या 2 द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अपील संख्या 193/2017 प्रस्तुत की गई जो माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 28.8.2019 से पुनः विचारण न्यायालय को उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान कर सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित की गई है । उक्त प्रस्तुत वाद पत्र के विचाराधीन रहते अपीलांट को उनके अधिवक्ता ने निर्णय व डिक्री दिनांक 13.9.2010 के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत करने हेतु विधिक सलाह दिये जाने पर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.9.2010 निरस्त किया जावे तथा प्रकरण दोनों पक्षों को सुनकर साक्ष्य ली जाकर गुणावगुण पर निस्तारण करने हेतु अधी0न्याया0 को रिमाण्ड किया जावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0टी0 2004 पेज 1, आदर0आर0डी0 1998 पेज 319, आर0बी0जे0 (25) 2018 पेज 42, आर0बी0जे0 (15) 2008 पेज 761, आर0बी0जे0 (6) 1999 पेज 158, आर0बी0जे0 (4) 1997 पेज 102 एवं आर0बी0जे0 (17) 2010 पेज 376 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात खसरा नंबर 27 मिन, 69 मिन, 80, 84, 85, 117, 118, 111, 112, 142, 140, 143, 142, 149 मिन व 149 मिन जिसके हाल खसरा संख्या 25, 80, 88, 97, 98, 128, 134, 135, 142, 149, 151, 164, 165 कुल किता 13 रबा 9 बीघा 16 बिस्वा 15 बिस्वांसी अपीलांटस के पिता की खुदकाश्त की आराजियात रही है जिसमें किसी भी प्रकार के हक व अधिकार रेस्पो0 अथवा उनके पूर्वजों के नहीं रहे है । वादी/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने स्वंय को उपरोक्त आराजियात का पुश्तैनी रूप से खातेदाना होना वर्णित कर वाद अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.9.2010 की जानकारी अपीलांटस को प्रारंभ से नहीं थी । बरवक्त प्रस्तुत वाद आराजियात बालू पुत्र पन्ना की खातेदारी में दर्ज रही है, जिसका विरासती नामांतकरण संख्या 68 दिनांक 23.6.2014 मृतक बालू पुत्र पन्ना के स्थान पर अपीलांट के नाम स्वीकृत किया गया एवं

उपरोक्त विचाराधीन वादपत्र में रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा कैम्प कोर्ट में उपस्थित होकर निर्णय व डिक्री दिनांक 13.9.2010 के बाबत् अवगत कराया गया, जिस पर अपीलांट संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत वाद विभाजन को निरस्त किए जाने बाबत् निर्णय दिनांक 9.6.2017 को विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा पारित किए गए है । उपरोक्त पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 9.6.2017 के विरूद्ध अपीलांट संख्या 2 द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश की गई जो मान0न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 28.8.2019 से पुनः अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित की गई । उक्त प्रस्तुत वाद के विचाराधीन रहते अपीलांट को उनके अधिवक्ता ने निर्णय व डिक्री दिनांक 13.9.2010 के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की विधिक सलाह दी गई जिससे जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 13.9.2010 विधिसम्मत् है । ग्राम प्रतापपुरा की जमाबंदी संवत् 2066 से 2069 के खाता संख्या 23 कुल किता 10 रकबा 12–13–15 बीघा तथा खाता संख्या 24 किता 13 रकबा 0–16–15 बीघा वादीगण तथा प्रतिवादीगण के अग्रज स्व0 पन्ना पुत्र जोधा की खुदकाश्त भूमियां थी । स्व0 पन्ना के दो पुत्र बालूसिंह व किशनसिंह थे जिनको उक्त भूमिया विरासत से प्राप्त हुई जिनके 1/2 हिस्से पर वादीगण व प्रतिवादीगण काबिज काश्त है किन्तु खाता संख्या 24 की भूमियां में बालूसिंह के नाम दर्ज कर दी गई किन्तु किशनसिंह का 1/2 हिस्सा दर्ज नहीं किया गया है । खाता संख्या 24 की भूमि बालूसिंह की स्वअर्जित नहीं थी बल्कि स्व0 पन्ना पुत्र जोधा की विरासत से प्राप्त हुई थी जिसमें स्व0 किशनसिंह के वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 6 से 10 का 1/2 हिस्सा निहित है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के परिपेक्ष्य मे वाद डिक्री किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है । अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावे।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस ने अधी0न्याया0 द्वारा वाद संख्या 14/2010 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.9.2010 के विरूद्ध हस्तगत अपील दिनांक 18.1.2021 को पेश की है । अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में कथन किया है कि लक्ष्मणसिंह द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष वादपत्र संख्या 58/2015 अंतर्गत धारा 53 व 188 राज0काश्त0अधि0 पेश किया था जिसमें रेस्पो0 संख्या 1 ने दिनांक 9.6.2017 को उपस्थित होकर वाद संख्या 14/2010 निर्णय दिनांक 13.9.2010 की छाया प्रति पेश की जिस पर अधी0न्याया0 ने वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया है । अधी0न्याया0 के इस निर्णय के विरूद्ध अपीलांट संख्या 2 द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील संख्या 193/2017 अपील पेश किये जाने पर अधिवक्ता ने निर्णय व डिक्री दिनांक 13.9.2010 के विरूद्ध अपील पेश करने की सलाह दिये जाने पर यह अपील पेश की है । अपीलांटस द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में स्वंय द्वारा अंकित कथनों से स्पष्ट है कि अपीलांटस को अधी0न्याया0 द्वारा वाद संख्या 14/2010 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.9.2010 की जानकारी दिनांक 9.6.2017 को हो चुकी थी इसके बावजूद अपीलांटस द्वारा जानकारी से लगभग 4 वर्ष के भारी विलंब उपरांत दिनांक 18.1.2021 को हस्तगत अपील पेश की है । अपीलांटस ने विलंब के संबंध में जो कारण अंकित किये है वे

उचित एवं सद्भाविक प्रतीत नहीं होते है । अपीलांटस को विलंब के संबंध में दिन–प्रतिदिन के ठोस एवं उचित कारण अंकित करना आवश्यक था किन्तु अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र में विलंब के संबंध में ठोस एवं उचित कारण अंकित नहीं किये है । अपीलांटस को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की दिनांक 9.6.2017 को जानकारी होने के बावजूद समयावधि में अपील पेश नहीं किया जाने से इतने भारी विलंब को बिना किसी ठोस एवं समुचित कारण के क्षम्य नहीं किया जा सकता है । अपीलांटस दस्तावेजी साक्ष्यों से अपील में हुए विलंब को साबित करने में असफल रहे है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाता है।

8. अतः अपील अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थन पत्र धारा 5 मियाद अधि0 खारिज किये जाने से अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से खारिज की जाती है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.9.2010 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 29.10.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर